निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 185/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हनुमान पुत्र स्व. श्री नाथूलाल, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. वन्दना पत्नी रिंकू, जाति हरियाणा ब्राह्मण
2. राजेश पुत्र लालूराम
3. मीरा देवी पत्नी लालूराम
4. ब्रदीनारायण पुत्र स्व. श्री मांगीलाल
5. राजू पुत्र स्व. श्री मांगीलाल
6. रामअवतार पुत्र श्री सूरजमल
7. केसर पत्नी सूरजमल
8. अनिता पुत्री सूरजमल पत्नी अशोक कुमार
9. अंजू देवी पत्नी राधाकिशन

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण
10. श्री ललित कुमार मीणा RAS पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022 ब उनवानी हनुमान बनाम वन्दना व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

उपस्थितः—

1. श्री आर. के. शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4, की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 28.11.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022 ब उनवानी हनुमान बनाम वन्दना व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बाबूलाल के कब्जे की जगह भूमि में नहीं लेकर वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 1 का पति अक्सर तहसीलदार परिसर कार्यालय में आये दिन घुमते रहते है एवं अकसर उन्हे अप्रार्थी संख्या 10 के कर्मचारियों से बातचीत करते रहते है। प्रार्थी ने कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 को रीडर से अकेले में चर्चा करते हुये देखा है एवं पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर चक्कर लगाते हुये देखा है एवं प्रार्थी को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित करवा सकते है। इसलिये प्रार्थी को न्याय की आशा नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवयश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner